2024/389 D

पेशकार 21/5/24

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी — बनाम — भागीरथराम पुत्र हड़मानराम जाति जाट निवासी–नेहरूनगर (हुडील) तह. कुचामनसिटी व अन्य

किस्म मुकदमां : अन्तर्गत धारा 131, 132 आर.एल.आर.एक्ट — मुकदमा नम्बर 177 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
21.05.2024	तहसीलदार कुचामन के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नेहरूनगर पटवार हल्का हुडील तहसील कुचामन के खसरा नम्बर 1117/18 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म जाव–3, खसरा नम्बर 18 रकबा 6.92 हैक्टर किस्म चाही–3/जाव–3, खसरा नं. 28 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चाही–3/जाव–3, खसरा नं. 22 रकबा 4.75 हैक्टेयर किस्म चाही–3/जाव–3, खसरा नं. 1166/25 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म जाव–3, खसरा नं. 1164/47 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म चाही–3, खसरा नं. 46 रकबा 0.58 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 भूमि में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षो से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर चाही–3/जाव–3 दर्ज हैं। अतः ग्राम नेहरूनगर पटवार हल्का हुडील तहसील कुचामन के खसरा नम्बर 1117/18 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म जाव–3, खसरा नम्बर 18 रकबा 6.92 हैक्टर किस्म चाही–3/जाव–3, खसरा नं. 28 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चाही–3/जाव–3, खसरा नं. 22 रकबा 4.75 हैक्टेयर किस्म चाही–3/जाव–3, खसरा नं. 1166/25 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म जाव–3, खसरा नं. 1164/47 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म चाही–3, खसरा नं. 46 रकबा 0.58 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 भूमि में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा (ट्रेस) में अंकन अनुसार प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चाही–3/जाव–3 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, साक्ष्य, दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया है जिससे तहसीलदार कुचामन सिटी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.एक्ट की पुष्टि होती है तथा उक्त प्रार्थना पत्र माफिक तहसीलदार कुचामन सिटी के प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टयां न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] तहरीर तहसीलदार कुचामनसिटी को जारी की जावे। पत्रा[illegible] नम्बर से कम होकर बाद तकमील के दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Vishwamitra Meena Date: 2024.09.15 16:22:17 IST Reason: SelfAttested (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner